Result Mitra IAS/PCS Daily Magazine Content

भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013

➢ चर्चा में क्यों ?

- पिछले कुछ दिनों से पंजाब के किसान केंद्र सरकार से "भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013" के कार्यान्वयन सहित एक दर्जन से अधिक मांग के साथ पंजाब और हरियाणा की खनौरी और शंभू सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।
- किसानों के प्रमुख मांगों में से एक भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013 का कार्यान्वयन है।

➢ "भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013" क्या है ?

- "भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013" (Land Acquislition Act) जिस भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिनियम–2013 (RFCTLARR Act) भी कहा जाता है, भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करता है।
- ** भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013 को पुराने "भूमि अधिग्रहण अधिनियम–1894" को बदलने के लिए केंद्र द्वारा अधिनियमित किया गया था।
- यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण के लिए एक आधुनिक ढांचा प्रदान करता है, जिससे प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित होता है।

➢ अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं :

- इस अधिनियम की सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विशेषता भूस्वामी को मुआवजा और सहमति की आवश्यकताएं है।
- इस अधिनियम के तहत भूस्वामी को मुआवजे के रूप में शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का चार गुना देने का प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के लिए 70% प्रभावित परिवारों की सहमति तथा निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 80% प्रभावित परिवारों की सहमति को आवश्यक बनाया गया है।
- इस अधिनियम के तहत सिंचित बहुफसली भूमि एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किए गए भूमि के अधिग्रहण को प्रतिबंधित किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत प्राप्त मुआवजे या अन्य किसी प्रक्रिया से असंतुष्ट है तो वह इसके निवारण के लिए "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण" से संपर्क कर सकता है।
- इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिए एक "सामाजिक प्रभाव आकलन" (SIA) बनाने की अनिवार्यता का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के प्रावधानों में प्रभावित परिवारों के लिए एक घर, आजीविका, सभी के लिए वित्तीय सहायता, आश्रित परिवारों के लिए रोजगार या वार्षिक आधारित आय की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद कही गई है।
- इसके अलावा इस अधिनियम के तहत विस्थापित परिवारों के लिए बनाए गए पुनर्वास क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल सुविधा का प्रावधान किया गया है।

➢ अधिनियम की अन्य विशेषताएं :

- इस अधिनियम के तहत मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण को रोकने के लिए "सार्वजनिक उद्देश्य" की परिभाषा को सीमित किया गया है।
- ** इस अधिनियम के तहत "सार्वजनिक उद्देश्यों" में बुनियादी ढांचा परियोजना, शहरीकरण और औद्योगिक गलियारे को शामिल किया गया है।

- *** इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यह यदि अधिगृहित भूमि का उपयोग 5 वर्ष के अंदर अपने निर्धारित उद्देश्यों के तहत नहीं किया जाता है तो इसे मूल मालिक या "भूमि बैंक" को वापस कर दिया जाना चाहिए।
- कुछ परियोजनाओं जैसे रक्षा, रेलवे और परमाणु ऊर्जा से संबंधित अधिग्रहण को उपरोक्त शर्तों से छूट दी गई है।
- इसके अतिरिक्त यह अधिनियम अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में अतिरिक्त लाभ और परामर्श प्रक्रियाओं को अनिवार्य करता है।

➢ जब भूमि अधिग्रहण कानून पहले से लागू है तो किसान इसे लागू करने की मांग क्यों कर रहे हैं ?

- भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013 के लागू होने के संबंध में किसानों का दावा है कि इसे इसकी मूल भावना के साथ लागू नहीं किया जा रहा है जिसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं।
- भारतीय किसान यूनियन के महासचिव का कहना है कि कई राज्यों द्वारा इस अधिनियम को संशोधनों के साथ लागू किया, जिसमें कई विवाद और अदालती मामले सामने आए हैं।
- अधिनियम के कार्यान्वयन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ?
- विशेषज्ञों का कहना है कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं अक्सर विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी करती है जिससे मुआवजे की लागत सार्वजनिक और निजी परियोजना बजट पर दबाव डाल सकती है।
- इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत सामाजिक न्याय के साथ विकास की जरूरतों को संतुलित करना एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है जिससे अधिनियम का पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हो गया है।

➢ भूमि अधिग्रहण अधिनियम–1894 :

- ** औपनिवेशिक काल में भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजे के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम–1894 लाया गया था, जो 1 मार्च 1984 से लागू हुआ।
- * यह अधिनियम भारत के साथ पाकिस्तान में भी लागू है हालांकि वर्तमान में भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013 के तहत ही भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित कार्य होता है।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013 के पहले यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के अलावे पूरे भारत में लागू था।

MCQ–1 : भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013 के तहत निम्न कथनों पर विचार करके उचित विकल्प का चयन करें।

1. भूमि अधिग्रहण अधिनियम–2013 ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम–1894 को प्रतिस्थापित किया।
2. यह अधिनियम 1 जनवरी 2014 से पूरे भारत में लागू है।
3. इस अधिनियम के तहत भू–स्वामी को भूमि अधिग्रहण के लिए शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का दो गुना और ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है।
4. इस अधिनियम के तहत सिंचित बहुफसली भूमि का अधिग्रहण प्रतिबंधित है।

a) कथन 1 और 2 सही है।
b) केवल कथन 3 और 4 सही है।
c) सभी कथन गलत है।
d) सभी कथन सही है।

Ans.–(d)

Result Mitra

हम आपको रिजल्ट देने आये हैं.
Result Mitra
1- UPSC(IAS) COMPLETE GS -5999 ₹.
2- NCERT for IAS/PCS -2499 ₹
3- ESSAY for IAS/PCS- 2199 ₹
4- UPSC PRELIMS TEST SERIES - 1399 ₹
5- सभी राज्यों के लिए टेस्ट सीरीज - 1399 ₹
कोर्स या Test Series के लिए
WhatssApp कीजिये
9235313184, 9235446806